

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
दिनांक 30/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या :- 111/2025

अनवान

2025/278

~~गोकुली धर्म पालि मंवर लाल धाकड़~~
~~(निवासी- अन्नोयपुरा लठ बेगूं)~~ प्रार्थी / प्रार्थीगण

वनाम
~~मंगीधर्म पालि कन्हो लाल धाकड़ वधर~~
~~(निवासी अन्नोयपुरा लठ बेगूं)~~ विपक्षी / विपक्षीगण


आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत वाबत पत्थरगढी करने:-

न्यायालय में अधिवक्ता श्री ~~रविशंकर प्रसाद~~ के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जांच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जांच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ~~अन्नोयपुरा~~ पटवार हल्का ~~हेतू लपुरा~~ की आराजी संख्या ~~931/607~~ कुल कीता- ~~61~~ कुल रकबा ~~0.6525~~ कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ~~अन्नोयपुरा~~ पटवार हल्का ~~हेतू लपुरा~~ की आराजी संख्या ~~931/607~~ कुल कीता- ~~61~~


कुल रकबा ~~0.6525~~ भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिति में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि ~~15.50~~ प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता- ①


उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला चित्तौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 393
प्रार्थना पत्र संख्या ~~111/2025~~ व अनवान ~~गोकुली धर्म पालि~~ प्रार्थना पत्र अ०धा० 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 2.6.25


उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला चित्तौडगढ़(राज.)

नोट- अन्नोयपुरा प्रकरण के विवाद हेतु विपक्षी/विपक्षी
धारित प्रमाणों की दृष्टि से प्रार्थी/प्रार्थीगण